न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सुजानगढ जिला चूरू

राष्ट्रीय लोक अदालत स्थान सुजानगढ 28.09.2024

राजस्व वाद संख्या 08/2023

दायर दिनांक 17.1.2023

निर्णय दिनांक 28.9.2024

जीसीएमएस संख्या 21/2023

छगनलाल पुत्र स्व0 लिछमणराम जाति खाती उम्र 68 वर्ष निवासी ग्राम नोरंगसर तहसील सुजानगढ जिला चूरू

.... वादी

बनाम

1. अर्जुनसिंह पुत्र स्व0 आसुसिंह जाति रावणा राजपूत निवासी ग्राम नोरंगसर तहसील सुजानगढ जिला चूरू राजस्थान
2. भगवानसिंह पुत्र स्व0 आसुसिंह जाति रावणा राजपूत निवासी ग्राम नोरंगसर तहसील सुजानगढ जिला चूरू राजस्थान
3. भंवरसिंह पुत्र स्व0 आसुसिंह जाति रावणा राजपूत निवासी ग्राम नोरंगसर तहसील सुजानगढ जिला चूरू राजस्थान
4. राधा पुत्री स्व0 आसुसिह जाति रावणा राजपूत निवासी ग्राम नोरंगसर तहसील सुजानगढ जिला चूरू राजस्थान
5. श्योपाल पुत्री स्व0 आसुसिंह जाति रावणा राजपूत निवासी ग्राम नोंरंगसर तहसील सुजानगढ जिला चूरू राजस्थान
6. सुरज्ञानकंवर पुत्री स्व0 हजारीसिंह जाति रावणा राजपूत निवासी ग्राम नोरंगसर तहसील सुजानगढ जिला चूरू राजस्थान
7. महेन्द्रसिंह पुत्र स्व0 हजारीसिंह जाति रावणा राजपूत निवासी ग्राम नोरंगसर तहसील सुजानगढ जिला चूरू राजस्थान
8. महावीरसिंह पुत्र स्व0 हजारीसिंह जाति रावणा राजपूत निवासी ग्राम नोरंगसर तहसील सुजानगढ जिला चूरू राजस्थान
9. हणमानसिंह पुत्र स्व0 हजारीसिंह जाति रावणा राजपूत निवासी ग्राम नोरंगसर तहसील सुजानगढ जिला चूरू राजस्थान
10. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार साहब सुजानगढ तहसील कार्यालय सुजानगढ जिला चूरू राजस्थान

.... प्रतिवादीगण

उपस्थित :— श्री हरिशचन्द्र पारीक एडवोकेट,श्री राजकुमार चायल वास्ते वादी

प्रतिवादीगण :— विरेन्द्र पारीक,प्रदीप पारीक एडवोकेट
राज पैरोकार

निर्णय

वादी ने दावा बाबत प्राप्त करने डिकी कृषि भूमि विभाजन एवं दुरूस्ती रिकार्ड का प्रस्तुत किया है कि ग्राम नोरंगसर तहसील सुजानगढ जिला चूरू का काश्त पेशा व्यक्ति है तथा हाल खसरा नंबर 249 तादाद 5.0580 हैक्टैयर नीम वाला सीमा ग्राम नोरंगसर तहसील सुजानगढ जिला चूरू में स्थित है। वादी ने दिनांक 5.12.1975 को खसरा नंबर 249 तादादी

लगातार 2 पर

सदस्य
लोक अदालत
सुजानगढ

अध्यक्ष 28/09/24
लोक अदालत
सुजानगढ

सदस्य
लोक अदालत
सुजानगढ

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सत्यमेव जयते सुजानगढ़ ज़िला चूरू

20 बीघा आसु पुत्र केशाराम जाति दरोगा निवारी ग्राम नोरंगसर तहसील सुजानगढ जिला चूरू से जरिये रजिस्टर्ड विक्रयपत्र 7 बीघा कृषि भूमि खरीद की थी तथा विकयपत्र के पृष्ठ संख्या 3 पर वादी को विकीत भूमि के आसा पासा अंकित है तथा वादी ने अपना विकयपत्र पटवारी हल्का का नामान्तरकरण दर्ज कर तस्दीक करवाने बाबत दे दिया परन्तु तत्कालीन पटवारी ने वादी की खरीद की गई भूमि उक्त खसरा की आथूणा पासा की तरमीम करने की बजाय विकेता आसु पुत्र केशरराम जाति दरोगा के साथ संयुक्त भूमि में खातेदारी दर्ज कर दी जबकि विकयपत्र में आथूणे पासे की 7 बीघा कृषि भूमि विकय किये जाने का स्पष्ट अंकन है तथा आथूणे पासे की कृषि भूमि पर काबिज है तथा फसल लेता, लाटता चला आ रहा है तथा मौका पर सीमायें कायम कर तारबंदी कर रखी है तथा खाद डालना,वृक्ष लगाने,आधुनिक कृषि स्रोतों का प्रयोग कर भूमि का उपजाउपन बढाने आदि बातों को लेकर विवाद रहता है। इसलिए खसरा नंबर 249 तादादी 5.0580 सीमा ग्राम नोरंगसर में से आथूणे पासा की कृषि भूमि जो प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 9 के वंश पुरूष एवं आसु से जरिये रजिस्टर्ड विक्रयपत्र मुताबिक कब्जा व मौका व रजिस्टर्ड विकयपत्र आथूणे पासे की 7 बीघा यानि 1.7705 हैक्टैयर भूमि का बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस विभाजन कर अलग खाता व अलग लगान कायम करवाये। प्रतिवादीनी संख्या 5 श्योपाल स्व0 आसु की पुत्री है परन्तु राजस्व रिकार्ड में भूल से पुत्र अंकित कर दिया इसलिए संशोधन कर पुत्र की बजाय पुत्री किया जावे।

जिस पर दावा दर्ज किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन नोटिस तलब किया गया

प्रतिवादीगण संख्या 2,3,5,7 ता 9 मय अपने अधिवक्ता प्रदीप पारीक उपस्थित होकर दिनांक 13.4.2023 को राजीनामां पेश किया तथा वादी एवं प्रतिवादीगण ने मुताबिक राजीनामां दावा डिकी किये जाने का निवेदन किया जिस पर राजीनामां तस्दीक किया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। दिनांक 23.09.2024 को वकील वादी उपस्थित होकर मिसल पेशी में लिये जाने का निवेदन किया तथा मिसल पेशी में ली जाकर प्रतिवादी संख्या 1,4 व 6 एवं वादी ने उपस्थित होकर राजीनामां प्रस्तुत किया प्रतिवादीगण संख्या 1,4 व 6 की ओर से वीरेन्द्र पारीक एडवोकेट ने वकालतनामां प्रस्तुत किया तथा प्रतिवादीगण के मुताबिक राजीनामां दावा डिकी किये जाने का निवेदन किया।

पत्रावली में राजीनामां हो जाने एवं राजीनामां पेश होने से विवाधकों की विरचना नहीं की गई।

वहस सुनी गई पत्रावली का अवलोकन किया जाकर मनन किया गया तथा राजीनामां एवं अन्य दस्तावेजात का अवलोकन किया गया।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि सीमा ग्राम नोरंगसर तहसील सुजानगढ जिला चूरू के हाल खसरा नंबर 249 तादादी 5.0580 हैक्टैयर नीम वाला में

Sd/- 28/09/24
अध्यक्ष
लोक अदालत
सुजानगढ़

Sd/-
सदस्य
लोक अदालत
सुजानगढ़

लगातार 3 पर

Basant
सदस्य
लोक अदालत
सुजानगढ़

से आथूणे पासे की 7 बीघा यानि 1.7705 हैक्टैयर कृषि भूमि का मुताबिक राजीनामां बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस विभाजन किया जाकर वादी का आथूण पासे की 1.7705 हैक्टैयर भूमि का अलग खाता व अलग लगान कायम किया जाता है। प्रतिवादीनी श्योपाल पुत्र आसुसिंह की बजाय श्योपाल पुत्री आसुसिंह का संशोधन किया जाकर पुत्र की जगह पुत्री अंकित किया जावे।

तहसीलदार सुजानगढ को आदेश दिये जाते है कि वादी के नाम उपरोक्तानुसार अलग खाता व अलग लगान कायम कर राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद करे। शेष अगूण पासे की भूमि प्रतिवादीगण के नाम हिस्सानुसार यथावत कायम रहे एवं उनका अलग खाता व अलग लगान कायम करें मुताबिक आदेश राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे। तदनुसार पर्चा डिक्री जारी हो। तहसीलदार सुजानगढ के नाम उपरोक्तानुसार तहरीर जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 28.09.2024 को टंकित करवाकर राष्ट्रीय लोक अदालत में सुनाया गया।

न्यायिक अधिकारी
अध्यक्ष
राष्ट्रीय लोक अदालत
लोक अदालत
सुजानगढ
सुजानगढ

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी
सत्यमेव जयते
सुजानगढ जि...

पैनल अधिवक्ता (सदस्य)
सदस्य
राष्ट्रीय लोक अदालत
लोक अदालत
सुजानगढ
सुजानगढ

रेवेन्यू अधिकारी (सदस्य)
सदस्य
राष्ट्रीय लोक अदालत
लोक अदालत
सुजानगढ
सुजानगढ

डिकरी ब मुकदमें इब्तदाई

(ऑर्डर 20, रुल 6–7 जब्ता दावानो)
(Civil Procedure code, Appendix 'D'-1)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सत्यमेव जयते सुजानगढ़ जिला- चूरू

अदालत – राष्ट्रीय लोक अदालत सुजानगढ दिनांक 28.09.2024

छगनलाल बनाम अर्जुनसिंह आदि
दावा बाबत घोषणात्मक कृषि भूमि एवं दुरस्ती रिकॉड
मुकदमा न0 08 सन 2023

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रु–ब–रुहाजरी श्री हरीशचन्द्र पारीक एड. मिनजानिब मुद्दई .. मिनजानिब मुद्दायलगण पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि उपरोक्त विवेचन के आधार पर दावा वादीगण राष्ट्रीय लोक अदालत में आदेश किया जाता है कि सीमा ग्राम नोरंगसर तहसील सुजानगढ जिला चूरू के खेत खसरा संख्या 249 रकबा 5.0580 हैक्टेयर में से आथूणे पासे की 7 बीघा यानि 1.7705 हैक्टेयर कृषि भूमि का मुताबिक राजीनामा बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस विभाजन किया जाकर वादी का आथूणे पासें की 1.7705 हैक्टेयर भूमि का अलग खाता व अलग लगान कायम किया जाता है। प्रतिवादीनी श्योपाल पुत्र आसुसिंह की बजाय श्योपाल पुत्री आसुसिंह का संशोधन किया जाकर पुत्र की जगह पुत्री अंकित किया जावे।

तहसीलदार सुजानगढ को आदेशित किया जाता है कि वादी के नाम उपरोक्तानुसार अलग खाता व अलग लगान कायम कर राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद करें। शेष अगूण पासे की भूमि प्रतिवादीगण के नाम हिस्सानुसार यथावत कायम रहे एवं उनका अलग खाता व अलग लगान कायम करें मुताबिक आदेश राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद करे। तदनुसार यह डिक्री जारी हो। प्रतिवादी तहसीलदार सुजानगढ़ को पालनार्थ प्रेषित हो।

देवे .... मुबलिग .... बाबत ....
खर्चा इस मुकदमे के मय सुद व शरह ....
तारीख वसूलमाबी तक .... फीसदी सालाना आज की तारीख से
आज मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज .... को अदा करे।
तारीख28माह 09. 2024

Sd/- 28/09/24
न्यायिक अधिकारी (अध्यक्ष)
राष्ट्रीय लोक अदालत
सुजानगढ

Sd/-
पैनल अधिवक्ता (सदस्य)
राष्ट्रीय लोक अदालत
सुजानगढ

Basant adv.
रेवन्यू अधिकारी (सदस्य)
राष्ट्रीय लोक अदालत
सुजानगढ

मुद्दई	रुपया	पै.	मुद्दायलाई	रुपया	पै.
स्टाम्प अर्जीदावा			स्टाम्प बकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			महनताना वकील पर		
महनताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमिश्नर		
फीस कमिश्नर			बाबत		
बाबत इजराय हुक्मनामा			इजराय हुक्मनामा		
मुतफरिक			मुतफरिक		
मीजान			मीजान		

नोट : खर्च के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिकरी के जरिये दिलाया गया हो या नही दर्ज करना चाहिये